भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

INDIA

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9811

चुका है अतः इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न स्टाम्प अंकन 58,330/– रूपये

इकरारनामा कार्यालय उप निबन्धक सरधना पर प्रतिपुस्तक संख्या 1 खण्ड 1942 के पृष्ठ 181/206 में कमसंख्या 8850 पर दिनांक 25.08.2008 ई0 दर्ज रजिस्टर है।

स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।

विक्रेता अनुसूचित जाति से नंहीं है।

विक्रित भूमि राजकीय, जनपदीय या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।

विक्रित भूमि में कोई पेड़ व बोरिंग आदि नहीं है।

विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21 AUG 2009

K 01940

क्रेता द्वितीय पक्ष के परिवार के पास क्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 12,1/2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
विक्रित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अधीन दिये गये पटटे की भूमि नहीं है।
विक्रित सम्पत्ति विक्रेता/प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति का अंश है।
पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक हैं।

हम रामबीर व वीरेन्द्र पुत्रगण श्री मामचन्द व सुशील कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र तथा राजेन्द्र सिंह व सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री कृपाल सिह व वीरेन्द्र सिह व विनोद कुमार व प्रमोद कुमार पुत्रगण अलबेल सिंह व श्रीमती सत्यवती पत्नी स्व0 अलबेल सिंह निवासीगण ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ– प्रथम पक्ष /विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21 AUG 2009 K 001939

एवं

'ए टू जैड बिल्डर्स एवं डवलपर्स' रजि0 आफिस के–6, पल्लवपुरम आवासीय कालोनी फेज द्वितीय, मेरठ द्वारा अधिकृत पार्टनर विनोद कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी 159–शास्त्री कालोनी, कंकरखेड़ा, मेरठ – द्वितीय पक्ष / केता

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि प्रथम पक्ष भूमिधरी भूमि खतौनी साल 1403 ता 1408 फसली अनुसार खाता संख्या 164 के खसरा नम्बर 1376, रकबा 0.174 हे0 शून्य दशमलव एक सात चार हैक्टेयर व 1442, रकबा 0.054 हे0 शून्य दशमलव शून्य पांच चार हैक्टेयर व 1444, रकबा 0.034 हे0 शून्य दशमलव शून्य तीन चार हैक्टेयर कुल 3 तीन नम्बर कुल रकबा 0.262

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

भारत INDIA सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21 AUG 2009

K 001938

हे0 शून्य दशमलव दो छः दो हैक्टेयर लगान 12.62 रूपये सालाना का अपना समस्त 8/9 भाग यानि विकित भूमि 0. 2328,8/9 हे0 शून्य दशमलव दो तीन दो आठ सही आठ बटा नौ हैक्टेयर स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ का पूर्ण स्वामी है, और प्रथम पक्ष को बहैसियत होने पूर्ण स्वामी भूमिधरी उक्त को विक्रय करने के पूर्णतः अधिकार प्राप्त हैं कि जो आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण भार, दोष वैधानिक व हस्तान्तरण आदि से मुक्त व रहित है। मूल्य इस समय अति उचित मिल रहा है। विक्रय करने में हर प्रकार से लाभ है। अतः शान्ति पूर्वक विचार करके स्वस्थ मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में समस्त व सम्पूर्ण भूमिधरी विक्रित उक्त के मय समस्त अधिकार स्वामित्व अधिपत्य आदि सहित बिना छोड़े हुए कोई हक व हिस्सा चाहे उसका जिक्र इस दस्तावेज में किया गया हो अथवा न किया गया हो

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000
पाँच हजार रुपये

Rs.5000
FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21 AUG 2009

001922

बदले अंकन 11,65,000/– ग्यारह लाख पैंसठ हजार रूपये कि आधे जिसके अंकन 5,82,500/– पांच लाख बयासी हजार पांच सौ रूपये होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते 'ए टू जैड बिल्डर्स एवं डवलपर्स' रजि0 आफिस के–6, पल्लवपुरम आवासीय कालोनी फेज द्वितीय, मेरठ द्वारा अधिकृत पार्टनर विनोद कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी 159–शास्त्री कालोनी, कंकरखेड़ा, मेरठ को विक्रय कर दी और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से अंकन 2,70,000/– रूपये द्वारा इकरारनामा दिनांक 24.08.2008 व अंकन 3,00,000/– रूपये चैक नम्बर 192546 दिनांकित 24.08.2009 व अंकन 3,00,000/– रूपये चैक नम्बर 192545 दिनांकित 24.08.2009 व अंकन 2,95,000/– रूपये चैक नम्बर 192547 दिनांकित 24.08.2009 सिंडीकेट बैंक, डिफेन्स कालोनी, मेरठ द्वारा प्राप्त करके

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21 AUG 2009 K 001921

विक्रित भूमिधरी उक्त को अपने अधिकार व अधिपत्य स्वामित्व आदि से निकालकर द्वितीय पक्ष के स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि में देकर और भूमिधरी विक्रित उक्त का मौके पर खाली का कब्जा द्वितीय पक्ष को देकर, द्वितीय पक्ष को अपनी भांति पूर्ण रूप से मालिक व स्वामी बना दिया। अब प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के वारिसान का कोई सम्बन्ध किसी किस्म का भूमिधरी विकित से शेष नहीं रह गया है और ना ही भविष्य में होगा। वास्तविक परिवर्तन कियान्वित हुआ और यह विकय सही एवं वैधानिक एवं क्रियान्वित करने योग्य है तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह भूमिधरी विक्रित उक्त को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लायें, जिस में प्रथम पक्ष व अन्य किसी को कोई आपत्ति करने का अधिकार न होगा, तथा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपना नाम सरकारी रिकार्ड माल कागजात में बहैसियत मालिक दर्ज करा लें। नाम दर्ज कराने में जहां कहीं भी प्रथम पक्ष के हस्ताक्षरों व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

17 AUG 2009

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 377

रजामन्दी की आवश्यकता होगी तो उस में प्रथम पक्ष को कुछ उज्र व एतराज न होगा तथा आज से पूर्व के जो भी ड्यूज आदि होंगे, उनको अदा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। यदि मुझ प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी या सम्बन्धी या सहभागी के वादवश भूमिधरी विक्रित उक्त या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जावे या उस पर कोई ऋण या भार पाया जावे, तो ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी दशा हो मय हर्जा खर्चा बैनामा मय ब्याज मय वाद व्यय सहित यदि कोई द्वितीय पक्ष को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये खर्च करना पड़े तो न्यायालय द्वारा मुझ प्रथम पक्ष से व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी से तथा प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार भी उचित जाने वसूल करे, जिसमें प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23575

. 9 .

उत्तराधिकारीगण को कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और उचित समय पर काम आवे।

दिनांक: 24.08.2009 (चौबीस अगस्त सन दो हजार नो ई0)
प्रालेख नरेश राजवंशी, दस्तावेज लेखक, सरधना (मेरठ)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

नजरी नक्शा (Not to be scaled)

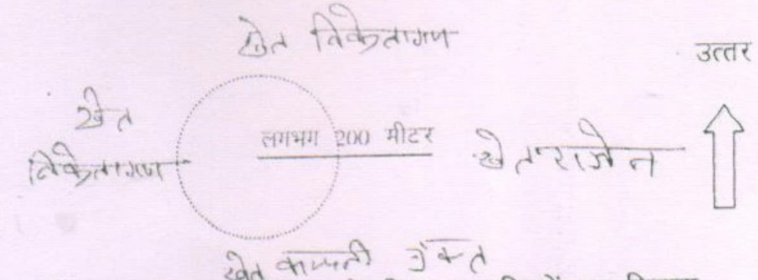

विक्रित भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. राष्ट्रीय राजमार्ग / जनपदीय मार्ग / लिंक मार्ग / चकमार्ग
2. बाग / नर्सरी — कोई नहीं
3. आवासीय / वाणिज्यिक भूमि / भवन — कृषि भूमि
4. शैक्षिक संस्थान / धर्मार्थ संस्थान / स्वास्थ्य केन्द्र
5. औद्योगिक संस्थान / कोल्ड स्टोरेज
6. गैस गोदाम / पैट्रोल पम्प / नलकूप
7. होटल / रैस्टोरेन्ट / मनोरंजन केन्द्र
8. सरकारी / अर्द्धसरकारी / निगमित कार्यालय
9. अन्य

घोषणा– किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 131045

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

कार्यालय उप निबन्धक मवाना (मेरठ)

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : - रामवती

बाये हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

दाये हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : - विनोद

बाये हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

दाये हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 471155

21 AUG 2009

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : – गिरेन्द्र

बायें हाथ के अंगुलियों के चिहन:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिहन:

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : सुशील

बायें हाथ के अंगुलियों के चिहन:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिहन:

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

21 AUG

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 471156

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : - राजेन्द्र सिंह

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : - सुरेन्द्र सिंह

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

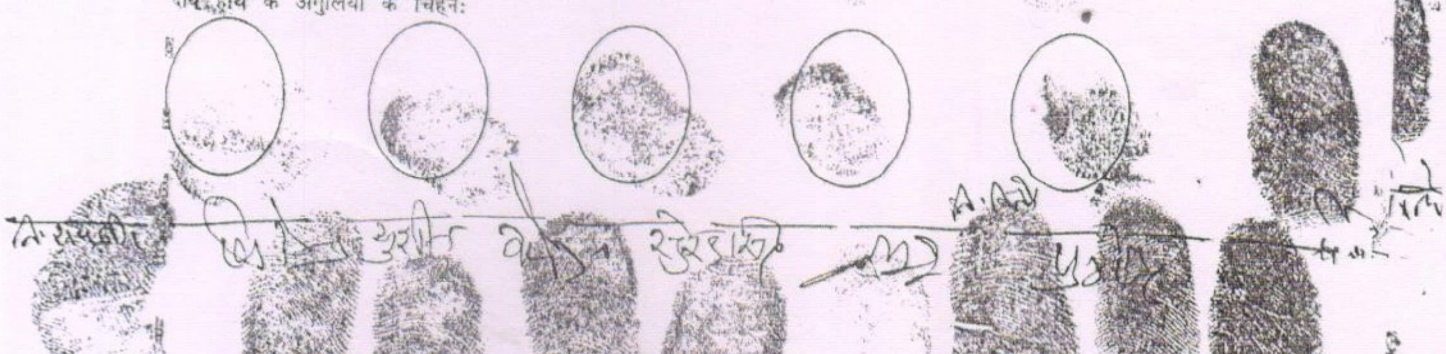

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

07AA 503716

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : – वीरेन्द्र सिंह

बायें हाथ के अंगुलियों के चिहन:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिहन:

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : – विनोद कुमार

बायें हाथ के अंगुलियों के चिहन:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिहन:

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

65AA 621357

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : - प्रमोद कुमार

बायें हाथ की अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : - श्रीमती सरस्वती

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

124 24/8/07 10

116 में शामिल किया

अंतिम तिथि 24/8/07

प्रति 8 2783

के 31/60 SC

पर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

519812

. 1 .

विक्रय पत्र

विक्रय मूल्य **11,65,000 / – रूपये**

निम्न भूमि डवलपर कम्पनी द्वारा कय की जा रही है, अतः जिलाधिकारी द्वारा जारी दर सूची के अनुसार अन्य प्रयोजनार्थ निर्धारित दर 50,00,000 / – रूपये प्रति हैक्टेयर की दर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

सर्किल रेट अनुसार कीमत **11,65,000 / – रूपये**

उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या सं0वि0क0नि0–5–2756 / 11–2008–500(165) / 2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार विकास शुल्क सहित 7 प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन 81,550 / – रूपये जिसमें से अंकन 23,220 / – रूपये का स्टाम्प इकरारनामा दिनांक 25.08.2008 के साथा संलगन कर अदा किया जा